"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] रायपुर, मंगलवार , दिनांक 6 अगस्त 2002—श्रावण 15, शक 1924

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-37/गृह-सी/2002.—अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1965 (वर्ष 1986 में यथा संशोधित अधिनियम देखिए 1986 का सं. 44) की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम (2) तथा (3) में उल्लिखित क्षेत्रों में, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में प्रस्तुत किए गए प्रकरणों का निपटारा करने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती को अनैतिक व्यापार क्रियाकलापों के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	जिला (2)	नगर निगम क्षेत्र (3)	नगर निगम क्षेत्र (4)
1.	रायपुर	रायपुर	क्षेत्र का प्रभारी, एस.डी.ओ.पी./सी.एस.पी.
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	क्षेत्र का प्रभारी, एस.डी.ओ.पी./सी.एस.पी.
3.	दुर्ग	दुर्ग	क्षेत्र का प्रभारी, एस.डी.ओ.पी./सी.एस.पी.
4.	दुर्ग	भिलाई	क्षेत्र का प्रभारी, एस.डी.ओ.पी./सी.एस.पी.
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	क्षेत्र का प्रभारी, एस.डी.ओ.पी./सी.एस.पी.
6.	कोरबा	कोरबा	क्षेत्र का प्रभारी, एस.डी.ओ.पी./सी.एस.पी.

Raipur, the 5th August 2002

NOTIFICATION

No. F-4-37/HOME-C/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 13 (1) of the Prohibition of Immoral Traffic Act, 1956 as amended in the year 1986 (vide amendment Act No. 44 of 1986), the State Government hereby appoints as Special Police Officers as mentioned in column number (4) of table given below to deal with such cases filled within their respective jurisdictions in column (2) and (3) of the said table :—.

S. No. (1)	District (2)	Name of Corporation (3)	Name of Municipal Corporation (4)
1.	Raipur	Raipur	Incharge S.D.O. Police/C.S.P. of the area
2.	Bilaspur	Bilaspur	Incharge S.D.O. Police/C.S.P. of the area
3.	Durg	Durg	Incharge S.D.O. Police/C.S.P. of the area
4.	Durg	Bhilai	Incharge S.D.O. Police/C.S.P. of the area
5.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Incharge S.D.O. Police/C.S.P. of the area
6.	Korba	Korba	Incharge S.D.O. Police/C.S.P. of the area

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-37/गृह-सी/2002.—अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1965 (वर्ष 1986 में यथा संशोधित अधिनियम देखिए 1986 का सं. 44) की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित कालम (2) में उल्लिखित जिलों के सामने उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित निम्नलिखित नगर पालिक निगम क्षेत्रों को अनैतिक व्यापार क्रियाकलापों के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	जिला (2)	नगर निगम क्षेत्र (3)
1.	रायपुर	रायपुर (नगर निगम, रायपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र)
2.	बिलासपुर	बिलासपुर (नगर निगम, बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र)
3.	दुर्ग	दुर्ग (नगर निगम, दुर्ग के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र)
4.	दुर्ग	भिलाई (नगर निगम, भिलाई के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र)
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव (नगर निगम, राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र)
6.	कोरबा	कोरबा (नगर निगम, कोरबा के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र)

Raipur, the 5th. August 2002

NOTIFICATION

No. F-4-37/HOME-C/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 7 (3) of the Prohibition of Immoral Traffice Act, 1956 as amended in the year 1986 (vide amendment Act No. 44 of 1986), the State Government hereby declares areas of Municipal Corporations mentioned in column (3) of the table below as the prohibited areas with the districts mentioned in column (2) of the table, for the purpose of immoral traffice activities.

S. No. (1)	District (2)	Name of Municipal Corporation (3)
1.	Raipur	Raipur (Areas falling under all police stations in Raipur Municipal Corporation).
2.	Bilaspur	Bilaspur (Areas falling under all police stations in Bilaspur Municipal Corporation).
3.	Durg	Durg (Areas falling under all police stations in Durg Municipal Corporation).
4.	Durg	Bhilai (Areas falling under all police stations in Bhilai Municipal Corporation).
5.	Rajnandgaon	Rajnandgaon (Areas falling under all police stations in Rajnandgaon Municipal Corporation).
6.	Korba	Korba (Areas falling under all police stations in Korba Municipal Corporation).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.